न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– भवानी सिंह, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 183/2021

वादी :– चरणसिंह सिसोदिया पुत्र प्रतापसिंह, जाति राजपूत निवासी ग्राम जेलवा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज. हालमुकाम गणेशनगर, झोटवाड़ा जयपुर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. चन्दनसिंह पुत्र फतेहसिंह
2. विक्रमसिंह पुत्र फतेहसिंह
3. दीपू कंवर पुत्री फतेहसिंह
4. रेणूकंवर पुत्री फतेहसिंह
   जातियान राजपूत निवासीगण जेलवा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.
5. सागरकंवर पुत्री फतेहसिंह, पत्नी चैनसिंह, जाति राजपूत निवासी हापत तहसील सोजत सिटी, जिला पाली राज.
6. श्रीमति प्रेमकंवर पत्नी फतेहसिंह जाति राजपूत निवासी जेलवा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.

वाद बाबत् बंटवाड़ा, स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :– वादी की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी, एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री राजेन्द्र प्रसाद बोराणा एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या 2 से 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही
प्रतिवादी संख्या 7 सरकारी पैरोकार

दिनांक :– 27/9/22

निर्णय

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि ग्राम जैतीवास तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1/20 रकबा 2.4270 हैक्टेयर, का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किया जाकर वादी के 2/3 हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा किये जाने हेतु पेश किया। जिस पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार किया गया तथा उपरोक्त खसरे की भूमि में से वादी के 2/3 हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

पत्रावली का अवलोकन किया गया वादी का दावा दिनांक 25.07.2022 को प्राथमिक डिक्री किया गया और ग्राम जैतीवास तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर खसरा नम्बर 1/20 रकबा 2.4270 हैक्टेयर में दर्ज वादी के 2/3 हिस्से का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया गया था। जिसकी पालना करते हुए तहसीलदार बिलाड़ा ने बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार है ग्राम जैतीवास तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1/20 रकबा 0.7686 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1/20 रकबा 0.8494 हैक्टेयर वादी चरणसिंह सिसोदिया पुत्र प्रतापसिंह, जाति राजपूत सा. गणेशपुरा जयपुर खातेदार के बंट में रखी गयी तथा खसरा नम्बर 1/20 रकबा 0.8090 हैक्टेयर, प्रतिवादीगण चन्दनसिंह चुडावत पुत्र फतेसिंह 1/6 हिस्सा, दीपूकंवर पुत्री फतेसिंह 1/6 हिस्सा, रेणू कंवर पुत्री फतेसिंह 1/6 हिस्सा, सागरकंवर पुत्री फतेसिंह 1/6 हिस्सा, विक्रमसिंह पुत्र फतेसिंह 1/6 हिस्सा, प्रेमकंवर पत्नी फतेसिंह 1/6 हिस्सा जातियान राजपूत सा. जेलवा के बंट में रखी गयी। बंटवाड़ा प्रस्ताव को लेकर किसी भी पक्षकार ने कोई आपति दर्ज नही करवायी है। बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग समझा जावे तथा बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड व नक्शा ट्रेस में अलग अलग इन्द्राज करने का आदेश तहसीलदार बिलाड़ा को दिया जाता है एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादी की बंटसुदा, खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 27/9/22 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा,

ब इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादी :– चरणसिंह सिसोदिया पुत्र प्रतापसिंह, जाति राजपूत निवासी ग्राम जेलवा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज. हालमुकाम गणेशनगर, झोटवाड़ा जयपुर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. चन्दनसिंह पुत्र फतेहसिंह
2. विक्रमसिंह पुत्र फतेहसिंह
3. दीपू कंवर पुत्री फतेहसिंह
4. रेणूकंवर पुत्री फतेहसिंह

   जातियान राजपूत निवासीगण जेलवा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.
5. सागरकंवर पुत्री फतेहसिंह, पत्नी चैनसिंह, जाति राजपूत निवासी हापत तहसील सोजत सिटी, जिला पाली राज.
6. श्रीमति प्रेमकंवर पत्नी फतेहसिंह जाति राजपूत निवासी जेलवा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955

राजस्व वाद संख्या :– 183/2021

निर्णय दिनांक :– 27/9/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री राजेन्द्र प्रसाद बोराणा एडवोकेट, प्रतिवादी संख्या 2 से 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी संख्या 7 सरकारी पैरोकार मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम जैतीवास तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1/20 रकबा 0.7686 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1/20 रकबा 0.8494 हैक्टेयर वादी चरणसिंह सिसोदिया पुत्र प्रतापसिंह, जाति राजपूत सा. गणेशपुरा जयपुर खातेदार के बंट में रखी गयी तथा खसरा नम्बर 1/20 रकबा 0.8090 हैक्टेयर, प्रतिवादीगण चन्दनसिंह चुडावत पुत्र फतेसिंह 1/6 हिस्सा, दीपूकंवर पुत्री फतेसिंह 1/6 हिस्सा, रेणू कंवर पुत्री फतेसिंह 1/6 हिस्सा, सागरकंवर पुत्री फतेसिंह 1/6 हिस्सा, विक्रमसिंह पुत्र फतेसिंह 1/6 हिस्सा, प्रेमकंवर पत्नी फतेसिंह 1/6 हिस्सा जातियान राजपूत सा. जेलवा के बंट में रखी गयी। बंटवाड़ा प्रस्ताव को लेकर किसी भी पक्षकार ने कोई आपति दर्ज नही करवायी है। बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग समझा जावे तथा बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड व नक्शा ट्रेस में अलग अलग

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

इन्द्राज करने का आदेश तहसीलदार बिलाड़ा को दिया जाता है एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादी की बंटसुदा, खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह –सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक –की अदा करें।बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27/9/22 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा